संख्या-278/2018/518/69-1-18-55(आसरा-37)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2018

विषयः शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-बहराइच की निकाय-जरवल की सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 20 आवासों की 01 परियोजना में मूल्यवृद्धि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5345/64/10/आसरा/मूल्यवृद्धि/समिति/2017-18(वाल्यूम-3), दिनांक 26 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी गरीबों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-37 से वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद-बहराइच की निकाय-जरवल की 48 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 20 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-324/2015/717/69-1-15-55(आसरा-37)/2015, दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा रू0 103.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 51.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी तथा शासनादेश संख्या-128/2017/1710/69-1-17-55(आसरा-37)/2015, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 51.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना में हुई मूल्यवृद्धि के दृष्टिगत कुल रू0 122.60 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-9 मे अंकित मूल्यवृद्धि के रूप में देय अन्तर की धनराशि रू0 18.94 लाख (रूपये अट्ठारह लाख चौरानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद/ निकाय का नाम/ कुल आवासों की संख्या	मूल परियोजना की कुल आवासीय लागत (अवस्थापना सुविधाओं रहित)	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों हेतु परियोजना की मूल लागत (अवस्थापना सुविधा रहित)।	परियोजना हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में कुल अवमुक्त धनराशि	48 आवासों की कुल पुनरीक्षित परियोजना लागत (अवस्थापना सुविधाओं सहित)	अवस्थापना सुविधाओं सहित सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 20 आवासों की पुनरीक्षित परियोजना की कुल धनराशि	अवस्थापना सुविधाओं सहित मूल्यवृद्धि के रूप में देय अन्तर की कुल धनराशि (8-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बहराइच/ जरवल-48 आवास	248.79	20	103.66	103.66	294.26	122.60	18.94
				योग				18.94

(रूपये अट्ठारह लाख चौरानबे हजार मात्र)।

-2/

788

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

15. अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर सम्बन्धित डूडा के माध्यम से कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के स्वीकृति आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखें भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

17. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

18. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।

19. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

20. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा कार्य की गुणवत्ता जांचने/सन्तुष्ट होने के पश्चात ही अंतिम भुगतान किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

21. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-278/2018/518 (1)/69-1-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बहराइच।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।